

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 1704 / पंग्राविवि / 22 / 2012

रायपुर, दिनांक 21 / 02 / 2012

प्रति,

कलेक्टर

सह अध्यक्ष WCDC

जिला- रायपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सरगुजा, धमतरी, सुकमा, मुंगेली,
सूरजपुर, बेमेतरा, गरियाबंद, कोण्डागांव, बलौदाबाजार एवं बलोद,
छत्तीसगढ़।

विषय:- जिलों में गठित जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) में संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश।

SLNA की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.10.2011 के एजेण्डा क्रमांक-6(क) के निर्णय तथा वित्त विभाग, छ.ग. शासन के यु.ओ. क्रमांक 61/सी.एन/00002478/बजट-2/वित्त/ चार/2012, दिनांक 30.01.2012 में प्रदत्त अनुमोदन अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के परिपालन में एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) अंतर्गत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक कुल 25,000 हेक्टर से कम उपचार क्षेत्र की स्वीकृति वाले जिलों में परियोजना अवधि तक के लिए निम्नानुसार 03 संविदा पद स्वीकृत किये जाते हैं:-

क्र.	स्वीकृत पद	संख्या	वेतनमान	मासिक संविदा वेतन
1	तकनीकी विशेषज्ञ	01	15600-39100 (ग्रेड वेतन 6600)	20880/-
2	लेखापाल	01	5200-10200 (ग्रेड वेतन 2800)	9120/-
3	डाटा एण्ट्री आपरेटर	01	5200-20200 (ग्रेड वेतन 2400)	8080/-
	कुल	03		


उपरोक्त पदों में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मापदण्ड एवं चयन प्रक्रिया "परिशिष्ट-1" में संलग्न है।

- विभागीय पत्र क्रमांक 3023/SLNA/2011, दिनांक 30.07.2011 के तहत जिलों में पूर्व से स्वीकृत तीन संविदा पद उपरोक्त उल्लेखित पदों में समाहित माने जायेंगे।
- इन पदों पर आने वाला संपूर्ण वित्तीय भार भारत सरकार द्वारा जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र WCDC को जारी Grant-in-aid आवर्ती मद से भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा SLNA छ.ग. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत किया जायेगा।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(जे.एन. अवस्थी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

//2//

पृ. क्रमांक 1705 /पंग्राविवि/22/2012
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 21/02/2012

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव वित्त विभाग,छ.ग. शासन डी. के. एस. भवन मंत्रालय, रायपुर।
3. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन, रायपुर।
4. संभाग आयुक्त, राजस्व संभाग, बिलासपुर/रायपुर/बस्तर/सरगुजा, छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-.....छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

**जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) स्वीकृत पूर्णकालिक पदों पर संविदा
नियुक्ति के संबंध हेतु प्रक्रिया**

1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण-

क्र.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	संविदा नियुक्ति के तहत चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण	
1	2	3	4	5
1	तकनीकी विशेषज्ञ	कृषि अभियांत्रिकी / कृषि/उद्यानिकी / वानिकी/ पशुपालन /भू- विज्ञान में स्नातकोत्तर/ सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ-साथ मृदा एवं जल संरक्षण/वानिकी/ शुष्कभूमि कृषि/ उद्यानिकी/जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष से अधिक का अनुभव	70 15 15 5 10 15
2	लेखापाल	1. मान्य संस्थाओं से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-9-4/2005/1/3, दिनांक 07 जून 2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण को ही मान्य किया जावेगा। 2. किसी भी संस्थान से टैली में न्यूनतम 06 माह का डिप्लोमा। 3. किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट (C.A.) से एक वर्ष का आर्टिकलसीप का अनुभव प्रमाण पत्र।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष से अधिक का अनुभव	70 15 15 5 10 15
3	डाटा एण्ट्री आपरेटर	1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण 2. डाटा एण्ट्री आपरेटर /प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा 3. कम्प्यूट में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष से अधिक का अनुभव	70 15 15 5 10 15

2. **नियुक्ति का तरीका** – सभी पदों पर चयन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप की जायेगी।

2.1 **नियुक्ति का प्राधिकारी**– योजनांतर्गत समस्त संविदा पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकार निम्नानुसार होगा :-

पद का नाम	नियुक्ति का प्राधिकार
जिला कार्यालय के अंतर्गत WCDC के समस्त पद	कलेक्टर सह अध्यक्ष, जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC)

Handwritten signature
21/12

2.2 **चयन समिति का गठन :-** उपरोक्त पदों में चयन हेतु निम्नानुसार सूक्ष्म चयन समिति का गठन किया जावेगा -

स्तर	अध्यक्ष	मनोनित सदस्य
जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC)	कलेक्टर सह अध्यक्ष जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र	अध्यक्ष, द्वारा मनोनित तीन सदस्य (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित)

3. एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु राज्य/जिला स्तर पर राज्य के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा सूक्ष्म जांच कर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।
5. तैयार मेरिट सूची से रिक्त पदों के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
6. मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत योग्य अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
7. **वेतन :-**
 - 7.1 उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
 - 7.2 मासिक एकमुश्त राशि का निर्धारण वह होगा जो SLNA द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करें।
8. **आरक्षण**
 - 8.1 एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु शासन द्वारा यथा निर्धारित राज्य/संभाग/जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
 - 8.2 आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
9. **आयु सीमा-** शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु-सीमा एवं छूट लागू होगी।
10. **नियुक्ति की अवधि -** संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
11. **अवकाश की पात्रता -** संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
12. **यात्रा भत्ता -** संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
13. **प्रसूति अवकाश-** शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
14. **अन्य शर्तें :-** राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार शर्तें मान्य होंगी।

 21/2

- 14.1 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
- 14.2 नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह के वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 14.3 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

-----00-----


21/2